न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

मुन्तकिली प्रकरण संख्या 323/2025 (GCMS : 2025/427)

भागीरथ पुत्र श्री बीरूराम जाति जाट निवासी गांव मांझूवास, हाल 5 पी पी–बी, तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर

बनाम

1. **श्री अजीत गोदारा** उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर
2. **मनीराम** पुत्र श्री रामनारायण जाति जाट निवासी 5 पीपी–बी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर
3. **कलावती** पुत्री श्री रामनारायण जाति जाट निवासी 5 पीपी–बी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर
4. **मनफुल** पुत्र श्री पेमाराम जाति जाट निवासी 5 पीपी–बी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर
5. **उरमा** पुत्री मुखराम, पत्नी अमृतपाल जाति जाट निवासी 96 एल ब्लॅक तहसील रोडऋ, श्रीविजयनगर, जिला श्रीगंगानगर
6. **भागीरथ** पुत्र हरीराम जाति जाट निवासी 5 पीपी–बी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर
7. **सहबराम** पुत्र श्रीराम जाति जाट निवासी 5 पीपी–बी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर
8. **मेहन लाल** पुत्र श्री भागीरथ जाति जाट निवासी 5 पीपी–बी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर
9. **स्टेट ऑफ राजस्थान** जरिये तहसीलदार राजस्व, पदमपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

06.04.2026

पत्रावली पेश हुई। **प्रार्थी के अधिवक्ता** श्री विक्रम बिश्नोई एवं अप्रार्थी संख्या 02 एवं 03 के अधिवक्ता श्री जसवीर सिंह मिशन उपस्थित हुए। उभयपक्ष को सुना गया।

प्रार्थी के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि उनके द्वारा उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण [illegible]/2025 अनवानी मनीराम बनाम भागीरथ आदि अन्तर्गत धारा 25 [illegible] निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर, उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल [illegible] प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया था। अब पक्षकारों का आपस राजीनामा होने [illegible] वे प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहते है, इसलिए उनका मुंतकिली प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है तो उन्हें कोई आपति नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.07 16:11:17 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अप्रार्थी संख्या 02 एवं 03 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि पक्षकारों का आपस में राजीनामा होने के कारण प्रकरण को खारिज किया जाता है, तो उन्हें आपत्ति नही है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 48/2025 अनवानी मनीराम बनाम भागीरथ आदि अन्तर्गत धारा 251–ए आरटीएक्ट में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर, प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया था। अब पक्षकारों का राजीनामा हो गया है, इसलिए वे प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहते है, इसलिए प्रार्थी के अधिवक्ता का मुंतकिली प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया है और प्रार्थी के प्रार्थना पत्र की प्रति पत्रावली में उपलब्ध है और अप्रार्थी के अधिवक्ता ने भी इस पर कोई आपत्ति है। अतः इसी आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 06.04.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.07 16:11:17 IST
Reason: SelfAttested